पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं.: 01572-232411

क्रमांक :- 17165 दिनांक : 23-12-2020

प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 23.12.2020 का कार्यवाही विवरण

प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 23.12.2020 को विश्वविद्यालय परिसर के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रातः 11:30 बजे आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रबंध बोर्ड के सदस्य उपस्थित रहे:

1. प्रो. भगीरथ सिंह	माननीय कुलपति	अध्यक्ष
2. श्री राजेन्द्र पारीक	माननीय विधायक, सीकर	सदस्य
3. श्री जे.पी. चंदेलिया	माननीय विधायक, पिलानी	सदस्य
4. डॉ. राहुल सिंह	माननीय राज्यपाल प्रतिनिधि	सदस्य
5. डॉ. शम्भू उपाध्याय	माननीय राज्यपाल प्रतिनिधि	सदस्य
6. श्री एम. एस. पूनिया	शिक्षाविद्	सदस्य
7. श्री जी. एन. घसिया	शिक्षाविद्	सदस्य
8. डॉ. सुशील नान्दल	डीन, समाज विज्ञान	सदस्य
9. डॉ. डी.पी. मीणा	डीन, कला	सदस्य
10. डॉ. सत्येन्द्र सिंह	प्राचार्य, निजी महाविद्यालय	सदस्य
11. श्री संदेश नायक	आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान	सदस्य
12. डॉ. नरेन्द्र कुमार थोरी	कुलसचिव	सदस्य

नोट: डॉ. राहुल सिंह, डॉ. शम्भू उपाध्याय एवं श्री संदेश नायक, आयुक्त बैठक में ऑनलाईन उपस्थित रहे।

बैठक की विधिवत कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व माननीय कुलपति महोदय ने सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया एवं परिचय करवाया।

माननीय कुलपति महोदय ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि वे विश्वविद्यालय के अध्यादेश, परिनियम, विनियम एवं नियमों के अनुसार ही कार्य करेंगे। सभी निर्णय सक्षम प्राधिकरण (Competent Authority) के सामूहिक विचार–विमर्श के अनुसार ही हो, इसका पूरा प्रयास करेंगे। यदि किसी नियम में संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उसके औचित्य को स्पष्ट करते हुए सक्षम प्राधिकरण से प्रावधान करवायेंगे जिससे कि विश्वविद्यालय का कार्य सुचारू रूप से चले। सभी आदरणीय सदस्यों ने भी इस विश्वविद्यालय के उत्थान, उन्नयन एवं विकास के लिए पूर्ण सहयोग का विश्वास व भरोसा दिलाया।

माननीय सदस्य विधायक श्री राजेन्द्र पारीक ने इस विश्वविद्यालय को "सेंटर फॉर एक्सीलेन्स" बनाने पर बल दिया। माननीय विधायक श्री पारीक एवं श्री जे. पी. चंदेलिया ने इस हेतु राज्य सरकार से हर संभव मदद व व्यवस्था के लिए आश्वस्त किया एवं सहयोग का भरोसा दिलाया।

Item Agenda (मद) 1 :– प्रबंध मण्डल की गत बैठक दिनांक 05.02.2020 के कार्यवृत की पुष्टि का प्रस्ताव।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – I)

निर्णयः कार्यवृत की पुष्टि इस प्रेक्षण (Observation) के साथ की गई कि निर्णय संख्या 4.5 एवं 4.7 को गत बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा तकनीकी आपत्ति प्रस्तुत की गयी। उनके विचारों को ध्यान में रखकर सर्वसम्मति से यह निर्णय किया गया कि संबंधित पक्षों के प्रतिवेदन को सुनकर, विचार कर, निर्णय करें व भविष्य में ऐसी भाषा को कभी भी कार्यवृत्त (Minutes) का भाग न बनाया जाये। शेष कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि की गई।

Item Agenda (मद) 2 :– प्रबंध मण्डल की गत बैठक दिनांक 05.02.2020 के अनुपालना प्रतिवेदन के अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – II)

निर्णयः कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का बिन्दुवार विचार कर अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 3 :– विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 07.12.2020 व 21.08.2020 के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – III)

निर्णयः कार्यवृत का अनुमोदन किया गया एवं निम्न सुझाव प्रस्तुत कियेः

(i) शोध पर्यवेक्षकों के लिए उच्च मापदण्ड अपनाये जाये एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी स्टेण्डर्ड एण्ड नॉर्म्स की पालना की जाये। इस हेतु उच्च मापदण्ड अपनाये जाये जिससे कि शोध की गुणवत्ता बनी रहे।

(ii) अध्ययन मण्डल का गठन करते समय न केवल वरिष्ठता को बल्कि सक्षमता (Competency) को भी ध्यान में रखा जाये। बाहरी सदस्यों में सक्षम शिक्षाविदों को प्राथमिकता दी जावे। राजस्थान विश्वविद्यालय की तरह अध्ययन मण्डल में 7 सदस्य रखे जाने का सुझाव दिया गया। इस हेतु विश्वविद्यालय परिनियमों में संशोधन कर विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करवाकर आगामी प्रबंध मण्डल की बैठक में रखे जाये।

Item Agenda (मद) 4 :– भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 21.09.2020 के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – IV)

निर्णयः अनुमोदन किया व निम्न सुझाव प्रस्तुत कियेः

(i) स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, ऑडिटोरियम एवं मुख्य द्वार के निर्माण हेतु वास्तुविद (Architect) का डिजाईन व ब्लूप्रिंट की प्रतियोगिता के माध्यम से चयन किया जाये। यह सुनिश्चित करवाया जाये कि डिजाईन में शेखावाटी स्थापत्य कला का भी समावेश हो।

(ii) विश्वविद्यालय को हरा भरा एवं पर्यावरण मैत्रेयी (Eco friendly) बनाने के लिए मॉलसरी जैसे घने एवं छायादार वृक्ष आवश्यक रूप से लगाये जाये। मार्च, 2021 तक कम से 2000 पेड़ विश्वविद्यालय परिसर में लगवा दिये जाये। रोजगार को मध्यनजर रखते हुए गार्डन के लिए स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता दी जावे।

(iii) वरिष्ठ अभियंताओं/ विशेषज्ञों की चार सदस्यीय कमेटी का गठन कर वर्तमान निर्माण कार्य का निरीक्षण, परीक्षण व आवश्यक सुधार जहां जरूरी हो व उपयुक्त हो, पर सुझाव व अनुशंषा कर प्रबंध बोर्ड की आगामी बैठक में सदन के समक्ष रखे।

(iv) विश्वविद्यालय में भविष्य का समेकित कार्य योजना (work plan) बनवाया जाये जिसमें विश्वविद्यालय को आवंटित सम्पूर्ण भूमि में अन्य प्रस्तावित भवनों एवं उद्यान आदि का एयरमार्क (Ea rmark) कर दिया जावे। विश्वविद्यालय की चारदीवारी का निर्माण सेन्ट्रल पार्क, जयपुर या स्मृति वन, सीकर की चारदीवारी को दृष्टिगत रखते हुए करवाया जाये।

Item Agenda (मद) 5 :– विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति के पुनर्गठन प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – V)

निर्णयः एक बागवानी प्रतिनिधि को भी समिति के पुनर्गठन में शामिल किया जाये। समिति में प्रबंध बोर्ड द्वारा मनोनीत होने वाले सदस्यों का मनोनयन करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

Item Agenda (मद) 6 :– वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.09.2020 के कार्यवृत का अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – VI)

निर्णयः अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 7 :– विश्वविद्यालय के वित्त वर्ष 2019–20 के वार्षिक व्यय एवं वित्त वर्ष 2020–21 के बजट अनुमान का अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – VII)

निर्णयः अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 8 :– निरीक्षण मण्डल की बैठक दिनांक 18.06.2019, 27.07.2019, 09.08.2019, 21.08.2019, 13.09.2019, 23.09.2019, 18.10.2019, 18.11.2019, 03.02.2020, 04.07.2020, 22.09.2020 व 29.09.2020 के कार्यवृतों के अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – VIII)

निर्णयः कार्यवृत का अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 9:– शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिए सम्बद्धता प्रक्रिया के ऑनलाईन आवेदन, ऑनलाईन निरीक्षण, ऑनलाईन परीक्षा शुल्क, सम्बद्धता फीस निर्धारित, स्मार्ट कॉलेज की व्यवस्था को कार्यरूप देने, छात्रों की बायोमैट्रिक व ऑनलाईन उपस्थिति एवं अन्य विषयों के प्रस्ताव पर अनुमोदन का विचार एवं निर्णय। र

निर्णयः सम्बद्धता शुल्क को छोड़कर मद के अन्य बिन्दुओं को आगामी बैठक के लिए स्थगित किया गया। सम्बद्धता शुल्क पर टेबल एजेण्डा आईटम में विचार किया जायेगा।

Item Agenda (मद) 10 :– विश्वविद्यालय में निम्न पदों के सृजन हेतु विचार एवं निर्णय।

1. शारीरिक शिक्षा निदेशक (Director, Physical Education) (1),
2. शोध निदेशक (Director Research) (1),
3. पुस्तकालयाध्यक्ष (Librarian) (1),
4. सहायक अभियंता, सिविल (Assistant Engineer, Civil) (1),
5. उपकुलसचिव (Deputy Registrar) (1),
6. सहायक कुलसचिव (Assistant Registrar) (2),
7. छात्र परामर्श अधिकारी (Student Counselor officer) (1),
8. जन सम्पर्क अधिकारी (Public Relation Officer) (1),
9. प्रोग्रामर (Progarmmer) (1),
10. इलेक्ट्रिशियन (Electrician) (1),
11. प्लम्बर (Plumber) (1),
12. लैब असिस्टेंट (Lab Assistant) (4),
13. कनिष्ठ पुस्तकालय सहायक (Junior Library Assistant) (2),
14. पुस्तक परिचर (Book Attendant) (4),
15. रसोइया (Cook) (1)
16. वेटर (Waiter) (1)

निर्णयः विश्वविद्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु उक्त पदों का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजकर पद स्वीकृत करवाये जावे। स्वीकृत पदों का वित्तीय भार विश्वविद्यालय द्वारा वहन किये जाने का निर्णय लिया गया।

Item Agenda (मद) 11 :– विश्वविद्यालय में सुरक्षा व कानून व्यवस्था (Safe & Secure Campus) को सुनिश्चित करने, विश्वविद्यालय को स्वच्छ व हरा–भरा (Clean & Green Campus) तथा विश्वविद्यालय को पर्यावरण मैत्रेयी (Environment friendly) बनाये रखने के लिए श्रमिकों को एजेन्सी के माध्यम से संविदा पर कार्य करवाने हेतु विचार कर निर्णय लेनाः

1. उद्यान निरीक्षक (Garden Superintendent) (1),
2. बागवान (Gardener)(20),
3. सुरक्षा अधिकारी (Security Officer) (JCO स्तर का) (1),
4. सुरक्षा प्रहरी (Security Guard) (50),
5. सफाई निरीक्षक (Sanitary Inspector) (1),
6. सफाई कर्मचारी (Sweeper) (25)

निर्णयः विश्वविद्यालय की निजी आय से एजेन्सी के माध्यम से उक्त श्रमिकों को संविदा पर कार्य करने हेतु रखे जाने का निर्णय लिया गया।

Item Agenda (मद) 12 :– विश्वविद्यालय के आदेशांक प.51 ( )लेखा/प्रे–238 दिनांक 05.07.2017 के द्वारा संपादक, राजस्थान पत्रिका, सीकर को उत्तरपुस्तिका नीलामी की निविदा का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका में करने हेतु आदेश दिया गया था, परन्तु उक्त निविदा प्रकाशन का बिल महेश मीडिया, सीकर द्वारा प्रस्तुत किया गया। उक्त बिल की राशि रू. 46250/– के भुगतान पर विचार/निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – IX)

निर्णयः राजस्थान पत्रिका द्वारा दी गयी सहमति एवं महेश मीडिया, सीकर द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर महेश मीडिया, सीकर को भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया।

Item Agenda (मद) 13 :– वर्ष 2019–20 की सीए द्वारा सत्यापित ऑडिट रिपोर्ट का अनुमोदन।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – X)

निर्णयः अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 14:–माननीय कुलपति महोदय के प्रतिवेदित आदेश का अभिलेखन एवं पुष्टि–

(क) प्रतिवेदन है कि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12 (6) में प्रवृत शक्तियों का उपयोग करते हुए वित्तीय वर्ष 2020–21 के माह अप्रैल–जून हेतु लेखा अनुदान (Budget on Account) स्वीकार किया है। तदानुसार कार्यालय आदेश क्रमांक 298 दिनांक 21.03.2020 जारी किया गया।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – XI)

(ख) प्रतिवेदन है कि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12 (6) में प्रवृत शक्तियों का उपयोग करते हुए वित्तीय वर्ष 2020–21 के माह जुलाई–सितम्बर हेतु लेखा अनुदान (Budget on Account) स्वीकार किया है। तदानुसार कार्यालय आदेश क्रमांक 15 दिनांक 03.07.2020 जारी किया गया।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – XII)

(ग) प्रतिवेदन है कि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12 (6) में प्रवृत शक्तियों का उपयोग करते हुए वित्तीय वर्ष 2020–21 के माह अक्टूबर–दिसम्बर हेतु लेखा अनुदान (Budget on Account) स्वीकार किया है। तदानुसार कार्यालय आदेश क्रमांक 40 दिनांक 01.10.2020 जारी किया गया।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – XIII)

निर्णयः अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 15 :–

(क) विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन के लिए नियमित नियुक्ति लम्बित है। सत्र 2020–21 में पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के लिए सेवानिवृत शिक्षक एवं कर्मचारियों के द्वारा कार्य व्यवस्था करवाने के लिए नीति एवं प्रक्रिया तय कर पारिश्रमिक राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देने पर विचार कर निर्णय करना।

(ख)विश्वविद्यालय में Self Finance पाठ्यक्रम एवं नियमित पाठ्यक्रमों में UGC के मापदण्ड द्वारा योग्यता धारी शिक्षकों से निश्चित समय के लिए अध्यापन कार्य करवाने की नीति एवं प्रक्रिया तय कर पारिश्रमिक राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देने पर विचार कर निर्णय करना।

(कार्य सूची परिशिष्ट – XIV)

निर्णयः विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों पर भर्ती नहीं होने तक नियमित पाठ्यक्रम एवं सेल्फ फाइनेन्स पाठ्यक्रम में यू.जी.सी. मापदण्डानुसार सेवानिवृत एवं योग्यताधारी शिक्षकों को संविदा पर रखा जाये एवं इन्हें समय-समय पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त मद पर विचार करते समय प्रबंध बोर्ड ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय में अकादमिक उत्कृष्टता हेतु विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान एवं गणित, समाज विज्ञान संकाय में राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, भूगोल, कला संकाय में अंग्रेजी, उर्दू, म्यूजिक, फाईन आर्ट्स एवं शिक्षा संकाय में एजुकेशन एवं फिजिकल एजुकेशन विभागों को शुरू करने की अनुमति दी गयी। राज्य सरकार को उपर्युक्त विभागों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भिजवाने के लिए एवं विश्वविद्यालय की स्वयं की आय से इन विभागों को संचालित करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

Table Agenda

Table Agenda (मद) 1: प्रतिवेदित है कि राज्य सरकार के पत्रांक प.3 (7) शिक्षा-4/2014 पार्ट दिनांक 03.06.2020 के दिशा-निर्देशानुसार एवं माननीय कुलपति महोदय के निर्देश दिनांक 04.07.2020 की पालना में विश्वविद्यालय द्वारा लॉकडाउन पश्चात आयोजित की गई परीक्षाओं में कोविड-19 के दिशा-निर्देशों की पालना के क्रम में परीक्षा केन्द्रों पर उपलब्ध करवाये गये सेनेटाइजर्स, मास्क इत्यादि हेतु रू. 5.00 लाख का अनुमानित व्यय किया है।

निर्णयः अनुमति दी गयी।

Table Agenda (मद) 2: (क) विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियम में सुझायी गयी समितियां, बिल्डिंग समिति, प्लानिंग एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी, रिसर्च बोर्ड एवं विश्वविद्यालय की विकास समिति यथा कम्प्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लाइब्रेरी, शोध तथा अकादमिक आवश्यकताओं के लिए बनाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की समितियों में सदस्यों को दिये जाने वाले मानदेय पर विचार कर निर्णय।

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किये जाने वाले सेमीनार, वेबीनार, कॉन्फ्रेंस में मुख्य वक्ता, बीज वक्ता, विशिष्ट अतिथि, द्वितीय वक्ता एवं अन्य को दिये जाने वाले मानदेय पर विचार कर निर्णय।

निर्णयः (क) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा देय मानदेय निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में (यथा विख्यात शिक्षाविद्) या ऐसी समिति जो राजस्थान विश्वविद्यालय में नहीं है तथा इस विश्वविद्यालय में उस समिति का गठन कार्यव्यवस्था के लिए आवश्यक हो, मानदेय निर्धारित करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

(ख) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा देय मानदेय निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में मानदेय निर्धारित करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

Table Agenda (मद) 3: विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु वी. के. शर्मा रोस्टर समिति द्वारा निर्धारित रोस्टर पर विचार/निर्णय।

(कार्य सूची परिशिष्ट – XV)

निर्णयः रोस्टर का अनुमोदन किया गया।

Table Agenda (मद) 4: राजस्थान प्रदेश निजी कॉलेज संघ से दिनांक 22.12.2020 को प्राप्त ज्ञापन के बिन्दु संख्या 2 में सम्बद्धता शुल्क के संबंध में विचार कर निर्णय।

निर्णयः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सत्र 2021–22 के लिए सम्बद्धता शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन नं. Acad./Affiliation/2018-19/1490 दिनांक 19.01.2018 के सत्र 2018–19 में लिये गये सम्बद्धता शुल्क के अनुसार लिया जावे तथा आगामी तीन वर्ष तक सम्बद्धता शुल्क में अभिवृद्धि नहीं की जाये।

<u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।</u>

1. **कोविड–19 वैश्विक महामारी के मध्यनजर केवल शैक्षणिक सत्र 2020–21 में विद्यार्थियों के परीक्षा शुल्क में कटौती एवं सेल्फ फाइनेन्स से संचालित कोर्सेज में विद्यार्थियों के शुल्क में कटौती पर विचार कर निर्णय।**

निर्णयः कोविड–19 के मध्यनजर केवल शैक्षणिक सत्र 2020–21 में विद्यार्थियों के परीक्षा शुल्क में 20 प्रतिशत एवं स्ववित्त पोषित से संचालित पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के शुल्क में 10 प्रतिशत की कटौती किये जाने का निर्णय लिया गया।

कुलसचिव